उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 2019 / पांच–8–2018–रिट(34) / 2018
लखनऊ : दिनांक : 29 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

डॉ0 कविता कोरी की नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.01.2015 द्वारा चिकित्साधिकारी संवर्ग में लेवल–1 पर जिला महिला चिकित्सालय, उरई जालौन में की गयी थी। डॉ0 कविता कोरी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को अपने पारिवारिक कारणोंवश त्याग पत्र का प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उरई जालौन को प्रस्तुत किया गया।

2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 23.03.2018 के साथ डॉ0 कविता कोरी के त्याग पत्र संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2018 को संलग्न करते हुए डॉ0 कविता कोरी के त्याग पत्र को दिनांक 21.11.2017 से त्याग पत्र को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– उक्त कम में डॉ0 कविता कोरी द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या–5990(एस0 / बी0) / 2018 डा0 कविता कोरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.02.2018 को निम्नलिखत आदेश (कियात्मक अंश) पारित करते हुए प्रकरण को 02 माह के अन्दर निस्तारित किये जाने के आदेश दिये गये है–:

Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel.

This petition has been filed with the following prayers: "1. Issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus commanding the respondent No.1 to accept the resignation of petitioner from the post of Medical Officer with effect from 21.11.2017 and accordingly discharge her from her service, in the interest of justice. 2. Issue a writ or order in the nature of Mandamus commanding the concerned respondents to take expeditious decision on the resignation of the petitioner dated 21.11.2017 and pass appropriate order in accordance to law within stipulated period, in the interest of justice."

Learned counsel for the petitioner has submitted that the petitioner had submitted resignation from the post of Medical Officer on 21.11.2017, but her resignation has neither been accepted nor any decision has been taken on the same up till now. He, therefore, submits that the authority concerned may be directed to take a decision on the resignation submitted by the petitioner within a stipulated period.

Accordingly, this writ petition is disposed of with the direction that the authority concerned shall take a decision in respect of resignation submitted by the petitioner within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order.

4– मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 27.02.2018 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त् श्री राज्यपाल ''उ0प्र0 सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली 2000'' के संगत प्राविधानों के अनुसार डा0 कविता कोरी चिकित्साधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, उरई, जालौन के त्याग पत्र को दिनांक 21.11.2017 से स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करते है।

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2019 (1)/पाँच–8–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को उक्त आदेश दिनांक 27.02.2018 के समादर में।
2. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उरई, जालौन।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, उरई, जालौन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उरई जालौन।
9. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा (मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उरई, जालौन)।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।